अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक– एफ–27(5) ग्रावि / ग्रुप–5 / इंआयो / जिला / 2014–15 / पार्ट–   जयपुर, दिनांक 12 मई, 2014

–: परिपत्र :–

ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी विभागीय परिपत्र क्रंमाक – एफ– 27 (5) ग्राविवि / इंआ / जिला / 2013–14 जयपुर दिनांक 8 जुलाई, 2013 की निरन्तरता में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवासीय योजनाओं में आवास सॉफ्ट की अनिवार्यता लागू की है। जिला परिषद स्तर से समस्त स्वीकृतियां एवं राशि हस्तान्तरण आदि की कार्यवाही आवास सॉफ्ट के इन्द्राज के आधार पर ही किया जावे। स्वीकृति हेतु आवेदन–पत्र किश्त हस्तान्तरण हेतु प्रपत्र संख्या– 3, 4 व 5 पंचायत समिति स्तर पर ही संधारित रखे जावे। इन प्रपत्रों को जिला परिषद् पर मंगवा कर स्वीकृति व किश्त हस्तान्तरण की कार्यवाही करना आवश्यक नहीं है।

इस प्रक्रिया से आवासों की स्वीकृति एवं किश्त हस्तान्तरण की कार्यवाही अविलम्ब की जा सकेगी। आवास सॉफ्ट पर स्वीकृति व किश्त हस्तान्तरण प्रपत्र का परीक्षण कर इन्द्राज कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विकास अधिकारी का होगा।

उक्त आदेश वित्तीय वर्ष 2011–12 से स्वीकृत आवासों पर लागू होंगे।

12/5/14

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान–जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान–जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान–सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्राविवि, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, जयपुर।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, ज्योति नगर, जयपुर।
8. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद् राजस्थान।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. वित्तीय सलाहकार, ग्राविवि / पंरावि, जयपुर।
11. समस्त जिला प्रभारी, ग्रावि एवं पंरावि, मुख्यालय, जयपुर।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
13. समस्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
14. अधीक्षण अभियंता, ग्राविवि, जयपुर।
15. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (एम.एण्ड ई.) को परिपत्रविभागीय वेब–साईट पर अपलोड कराने के सम्बन्ध में।
16. परियोजना अधिकारी (अभि.) / अधि.अभियंता(आवास),ग्राविवि।
17. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति राजस्थान।

12/05/14
अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.)